REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2018

सविनय कानूनभंग आंदोलन काल में श्रीगोंदा में स्थित विसापूर कारागृह का इतिहास

प्रा. वाजगे नवनाथ दत्तात्रय
सहाय्यक प्राध्यापक व विभागप्रमुख, इतिहास विभाग,
सावित्रीबाई कला महाविद्यालय, पिंपळगाव पिसा, ता. श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर.

सारांश (Abstract) :–

ब्रिटिशोंने विसापूर में जो राज किया था, उसके निशान एवं अवशेष आज भी स्वातंत्र्यपूर्व काल की यादें तरोताजा कर देती है। जिस तरह ब्रिटिशोंने विसापूर में तालाब का निर्माण (1896–1926) में किया उसी तरह '' विसापूर कारागृह '' यह ब्रिटिशोंके आस्तित्व का बहुत बडा चिन्ह है। स्वातंत्र्यपूर्व काल में अन्याय, अत्याचार और कैदियोंसे बुरा बर्ताव इसके लिए मशहूर (कुप्रसिध्द) हुआ विसापूर कारागृह आज भी विसापूर में स्थित है। आज यह कारागृह खुला कारागृह के रुपमें परिवर्तित हुआ है। यह कारागृह विसापूर रेल्वे स्टेशनसे एक कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वातंत्र्यपूर्व कालमें जिस वक्त ब्रिटिशोंके खिलाफ सविनय कानूनभंग आंदोलन (1930) छेडा गया। उस वक्त विसापूर कारागृह कैदियोंको दिए गए बर्ताव के बारेमें महाराष्ट्र में नही बल्की अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा में आ गया था। इसका संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत शोधनिबंध में अभिव्यक्त किया गया है।

पारिभाषिक भाब्द (Keywords):– कारागृह, सविनय कानूनभंग (कायदेभंग), अहिंसा, सत्याग्रह, क्रांती, राजकिय कैदी, जंगल सत्याग्रह, सेना कानून, असहकार, राष्ट्रसभा (राष्ट्रीय कॉग्रेस), धरना, उपोषण, निषेध सभा, राष्ट्रीय आंदोलन, नमक सत्याग्रह.

साधन चिकित्सा (Review of Literature):–

अहमदनगर जिले के श्रीगोंदा तहसिल में स्थित यह विसापूर कारागृह है। विसापूर कारागृह में ब्रिटिशोंद्वारा जो अत्याचार, अन्याय राजकिय कैदियो पर होता था । उसकी आलोचना बॉबें कॉग्रेस बुलेटिन जैसे वृत्तपत्रोंमें की गई थी। आज यह साधन स्वरुप उपलब्ध है। महाराष्ट्र शासनद्वारा प्रकाशित (1884, 1976) अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट गॅझेटियरमें भी विसापूर कारागृह के बारो में टिप्पणिंय्या की गई है। इसके अलावा कुमार केतकर, य. दि. फडके इन्होने महाराष्ट्रमें जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसके बारेमें अध्ययन किया है। महाराष्ट्र शासनद्वारा प्रकाशित Source Material for a Freedom Movement इस उपक्रमसे निर्मित साधनोंसे भी विसापूर कारागृह के बारे में जानकारी मिलती है। समकालीन वृत्तपत्र जैसे Free Press Journal, Bombay Cronical इन वृत्तपत्रोंसे भी विसापूर कारागृह का इतिहास उजागर होता है। अहमदनगर के पुलिस प्रमुखने बॉबे हेड ऑफिसको जो Confidential Report भेजे थे उससे भी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह विभिन्न माध्यमोंसे विसापूर कारागृह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

संशोधन पध्दती (Research Methodology):–

प्रस्तुत शोधनिबंध लिखने के लिए वर्णनात्मक पध्दती (Descriptive Methodology) उपयोग किया है। प्रस्तुत शोधकर्ता ने इस स्थान का सर्वेक्षण एवं निरीक्षण करके प्रत्यक्ष इस स्थल की जानकारी

पायी है। इसके अलावा भूगोल, अर्थशास्त्र, कानून इ. विषयोंका अध्ययन करके संबंधित शोधनिबंध के बारेमें आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन रखने का भी प्रयास किया है।

सन 1885 में राष्ट्रसभा की स्थापना के बाद भारतीय जनमानस को उनकी भावनाएँ व्यक्त करने के लिए, विरोध के लिए अखिल भारतीय स्तर पर व्यासपीठ उपलब्ध हो गया। आगे जाकर महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में जन आंदोलन शुरु हो गया। अभिजनोंकी राष्ट्रसभा साधारण जनता की राष्ट्रसभ बन गयी। इसीके तहत महात्मा गांधीजीके नेतृत्व मे असहकार आंदोलन (1920–22) सविनय कायदेभंग आंदोलन (1930), चलेजाव आंदोलन (1942) इस तरह की जन आंदोलन छेडी गयी। महात्मा गांधीजीने देशकी जनता को निर्भय बनाया। अहिंसा, सत्याग्रह इस तरह के तत्वों का उचित उपयोग करके महात्मा गांधीजीने देश में एक अलग तरह की क्रांती कर दी। इस क्रांती का मार्ग अहिंसक था। इस आंदोलन कालमे साधारण जनताने रास्तेपर उतरकर मोर्चा, निषेध सभा, उपोषण इन क्रियाओंमे योगदान दिया। महात्मा गांधीजी का जन आंदोलनके संदर्भ में ''जादा से जादा लोगों का कम से कम त्याग'' यह सूत्र था। [1] उसी कारण भारतमें होनेवाले विवीध आंदोलनोंमे जनता ने उत्स्फूर्त सहभाग दर्शाया। विशेषकर सविनय कायदेभंग आंदोलन में ब्रिटिश सरकारके अन्यायकारी कानून सविनय तरीकेसे भंग करनेमें जनता का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

महाराष्ट्र में इस आंदोलन के लिए जनता का योगदान उत्स्फूर्त रहा था। दुसरी और आंदोनकारीयों को कारागृह में डालनेमें ब्रिटिश भी बहुत सक्रीय हो गये थे। महात्मा गांधीजीने जनता के मनसे ब्रिटिशोंके डर को हटाया था। उसी कारण सविनय कायदेभंग आंदोलनमें महाराष्ट्र की जनता का सहभाग महत्वपूर्ण रहा। खुद को जेलमे डालना, जेल की सजा काटना इसके लिए साधारण जनता या कॉग्रेसी कार्यकर्ता बिल्कुल डर नही रहे थे। इस स्थिती में महाराष्ट्रमें स्थित विभिन्न कारागृहोमें कैदियों को रखा जाता था। महाराष्ट्रमें ब्रिटिशोंने नाशिक जेल, वरळी जेल, ऑर्थर रोड जेल, येरवडा जेल इस तरह के कारागृह निर्माण किए। इसमें अहमदनगर जिले के श्रीगोंदा तहसीलमें स्थित विसापूर कारागृह का भी समावेश होता है। सविनय कायदेभंग आंदोलन कालमें राजकिय कैदियोंको (राजबंदियोंको) रखने के लिए विसापूर कारागृह का उपयोग किया गया। यहॉ पर कैदियोंका जो पीडन होता था वह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था। इसी कारण स्वातंत्र्यपूर्व कालमें विसापूर कारागृह चर्चा का केन्द्रस्थान बना रहा।

अहमनगरसे 45 कि.मी. की दूरीपर हंगानदी के किनारे एक निर्जन स्थलपर विसापूर कारागृह स्थित है। ब्रिटिशोंने 1853 में भारतमें रेल्वेकी स्थापना की थी। 1831 में मनमाड रेलमार्ग का निर्माण हुआ। यह रेलमार्ग बिसापूर गावको छूकर जाता है। ग्रेट इंडियन पेनासुला रेल्वेमार्ग इस नामसे यह रेलमार्ग जाता है। अहमदनगर जिलेमें इस रेलमार्ग की लंबाई 197 कि.मी. है। और इस मार्गपर 19 स्टेशन्स है। दौंड, मनमाड ऐसे स्थलोंसे रेल्वे आगे निकलती है। विसापूरमें कारागृह स्थापन करते समय रेलमार्ग बहूत ही उपयुक्त साबित हुआ होगा। पुना या अहमनगरसे विसापूरमें केदियोंको लाने के लिए ब्रिटिशोंको इस रेलमार्ग का निश्चित स्वरुपसे उपयोग हुआ होगा।

सन 1930 में पुरे भारतमें सविनय कायदेभंग आंदोलन की शुरुआत हुई। गुजरातमें दांडी सत्याग्रहमें महात्मा गांधीजीने मुट्ठीमें नमक उठाया और नमक कानून का भंग किया। और आंदोलन की शुरुआत हुई। [3] समुचे देशमें इसे अच्छा प्रतिसाद मिला। महात्मा गांधीजीके विचारोंसे प्रभावित होकर महाराष्ट्रने भी इस आंदोलन मे सहभाग दर्शाया। महाराष्ट्रमे वडाळा सत्याग्रह, शिरोडा सत्याग्रह, सोलापूर सत्याग्रह इस तरह के सत्याग्रहोंमें जनताने सहभाग दर्शाया। अहमदनगर, नाशिक, सातारा, थाने इस जिलोंमे जंगल सत्याग्रह हुआ। सोलापूरमे सेना कानून पारित किया गया। सोलापूर, चिरनेर (कुलाबा) इन स्थानोंपर गोलाबारी हुअी। महाराष्ट्रने सविनय कायदेभंग आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सविनय कायदेभंग आंदोलन कालमें जनता के मन से कारावास और ब्रिटिश सेना की दहशत कम हो गयी। जनता आंदोलनमें सहभाग दर्शाके खुदको कानून के हवाले करने लगी। 15 नवंबर 1930 को सविनय कायदेभंग आंदोलन काल मे कारावासमें कारावास की सजा भूगतनेवाले कैदियोंकी रेकॉर्ड इस प्रकार थी। महाराष्ट्र में सहभागी कैदियों की कुलसंख्या 29054 थी। जिसमें महिलाएँ 359, कूल कैदियोंमेसे मुंबई प्रांतसे 4114 कैदी थे। जिसमें 3986 हिंदू, 110 मुस्लिम, 18 अन्यधर्मीय तो पुरुष 4014 एवं स्त्रिया 10 थी। इस गिनतीमें 15 नवंबरमे कारावास की शिक्षा पूरी किए हुए कैदियोंका समावेश नही। सरकारी रेकॉर्ड अनूसार सविनय कायदेभंग आंदोलन के प्रथमसत्र में फरवरी 1931 तक कारावास की सजा भुगतनेवाले कैदियोंकी संख्या 60000 इतनी थी। [4]

विसापूर कारागृहमें राजकीय कैंदियोंसे जो बुरा बर्ताव किया जा रहा था। इस बारेंमें 01 अगस्त 1930 के कॉग्रेंस बुलेटिनमें इस तरह की खबर प्रकाशित हुई; ''विसापूर करागृहके बारोंमें नियुक्त समितीने अपनी रिपोर्ट समाचारपत्रसे प्रकाशित की। समितीने बहुत निष्पक्षतासे जांच की थी। निष्कर्षमें समितीने कहा था की विसापूर कारागृहमें जो प्रकार हुआ है वह बहुत वेदनादायी है। एक निर्जन जगह पर स्थित, शहरसे दूर यह कारागृह ब्रिटिशोंके क्रौर्य और द्वेषपूर्ण प्रवृत्तीका निदर्शक है इस कारागृहमें सर्दी के मौसमें की गई व्यवस्था अत्यंत असमाधायी है। यहा पर 1100 कैदियोंको कारावासमे बंदिवान बनाया है। जिनका अपराध सिर्फ यह है की उन्होंने मुट्ठीभर नमक अपने हाथमें उठाया है। एवं अपने देशबांधवोंको परदेसी मालपर असहकार दर्शानेको कहा है। कारागृहके कैदियोंको पुरे सालमें केवल एक ही पोषाख दी गई है। जिससे उनको अपने शरीरको लिपटना पडता है। यहॉपर दिया जानेवाला खाना बहूतही निकृष्ठ है। कैदियोंपर की जानेवाली रखवाली दहशत ही तो है। कैदियोंके हाथ और पैरोंमे हथकडीयॉ लगायी जाती हैं। उनको भूखा रखा जाता है। कभी कभी तो उनपर हमला थी किया जाता है। कैदियोंको दिया जानेवाला खाना पौष्टिक नही है। कैदियोंमें आमांश और अतिसार जैसी बिमारीयॉ तो नित्य की बात है। इन दु:खोसे तो उनको बिलकूल आजादी नही मिलेगी। कैदियोंने पेशाब के लिए जाने को बोला तो उनकी नकल की जाती है। खुदको सुसंस्कृत कहनेवाले ब्रिटिशोंसे यह उम्मीद नही थी। [5]

विसापूर कारागृहकी क्षमता 832 इतनी थी। अहमदनगर जिला कारागृहके कैदियोंकी क्षमता मात्र 48 इतनी थी। स्वातंत्र्योत्तर काल के बाद विसापूर कारागृह 'अधखुला कारागृह' बन गया। इस कारागृहके कैदियोंका खेती के लिए इस्तेमला किया जाता था। इसके साथही कारागृह में कपडा बुनाई, सिलाई और लुहारकाम भी कैदियोंको दिया जाता था। अहमदनगर जिला कारागृह कैदियोंका व्यवस्थापन और सेवा देने के काम में व्यस्त है। विसापूर कारागृह के पास खुदकी जमीन है, और उसका क्षेत्र 87.22 एकर्स है। [6] इसमें से 48 एकर्स क्षेत्रमें जलसिंचन की सुविधा उपलब्ध नही है। इस जमीनमें कैदियोंद्वारा विभिन्न प्रकार की तरकारी, फल, सब्जी और गन्ना जैसी चिजोंका उत्पादन होता है। सब्जी के बारें में यह कारागृह स्वयंपूर्ण होकर कैदियोंद्वारा आधुनिक प्रकार से खेती की उपजाई होती है। [7]

सन 2010 में कारागृह विभागद्वारा महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिलेमें स्थित विहार मांडवा इस स्थानपर, 100 एकर जमीनपर अहमदनगर मे विसापूर स्थान पर और नाशिक रोड जेलमें 45.54 एकर्स जमीन पर तीन नये खुले (OPEN) कारागृहों की योजना तैयार हुई। इसवक्त तक महाराष्ट्र में पुरुषों की तीन कारागृह अस्तित्व में थी। औरंगाबाद, मोशीं और पैठण इन तीन स्थानोंपर यह कारागृह स्थित है। 28 जून 2010 को येरवडा सेंट्रल जेलमे महाराष्ट्र एवं देश का पहला महिला खुला कारागृह स्थापीत हुआ। [8] सन 2012 तक महाराष्ट्र में येरवडा, पैठण, औरंगाबाद, मोशी, येरवडा, ऐसी पाच जगहपर खुला कारागृह स्थित है। इसकी कुल क्षमता 972 इतनी थी । विसापूर कारागृह को 'जिला कारागृह' से 'खुला कारागृह' बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था। उसको सन 2013 में मान्यता प्राप्त होकर इस कारागृह का रुपांतर खुला कारागृह में हो गया है।

संदर्भ एवं तल टिप्पणियॉ:–

1) बिपन चन्द्रा, **इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेन्डन्स्,** (हिंदी अनुवाद) के सागर प्रकाशन, पुणे, 2003 पृ. 615.
2) **महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटिअर,** अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, मुंबई, 1976, पृ. 557.
3) कुमार केतकर, **कथा स्वातंत्र्याची, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ,** पुणे, 1985, पृ. 210.
4) य.दि.फडके, **विसाव्या भातकातील महाराष्ट्र, खंड 4 (1930–1939)** श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे,1993, पृ. 74.
5) **बॉबे कॉग्रेस बुलेटिन, बॉबे,** 24 जून 1930.
6) **महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटियनर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट,** बॉबे, 1973, पृ. 679.
7) **तत्रैव,** पृ. 680.
8) **इ. पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉबे,** 1 दिसंबर 2010.

REFERENCES:-

1) **Maharashtra State Gazetters,** Ahmednagar District, Bombay, 1976.
2) **Source Material for a History of Freedom Movement,** Vol.XI, Gaztteers Dept., Govt., Of Maharashtra, Bombay, 1990.
3) **Confidential Report,** File No. 3912/4/3717, Head Police Office, Bombay.
4) **Prisons in India,** Wikipedia, the free encyclopedia,
5) **Jail systems in Maharashtra,** Maharashtra prison Department, (MPD), India.
6) बिपन चन्द्रा, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेन्डन्स् (मराठी अनुवाद) के सागर प्रकाशन, पुणे, 2003.
7) कुमार केतकर, कथा स्वातंत्र्याची (मराठी), महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे, 1985.
8) य. दि. फडके, विसाव्या भातकातील महाराष्ट्र, खंड (1930–1939), श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे, 1993
9) यशवंतराव चव्हाण, कृष्णाकाठ (आत्मचरित्र)